राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/ 5775 दिनांकः 5/12/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 हेतु तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली के लिए पूर्व निर्धारित विशेष अभियान की तिथियों में संशोधन हेतु।
संदर्भः–आयोग का पत्रांक 4651 दिनांक 04.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव हेतु जारी किए गए पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 07.12.2019 को मतदान बूथ पर पठन कार्य एवं दिनांक 07.12.2019 एवं 08.12.2019 को विशेष अभियान तिथि नियत की गई है।

विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.12.2019 एवं 07.12.2019 को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन होने के कारण निर्वाचक नामावली के कार्य में नियोजित शिक्षकों को उक्त कार्य से मुक्त रखा जाए।

इस संबंध में आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि निर्वाचक नामावली के पठन एवं विशेष अभियान की तिथि दिनांक 08.12.2019 ही रखी जाए। शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। ऐसे शिक्षक जो प्रगणक नियुक्त है, को दिनांक 06.12.2019 व 07.12.2019 को होने वाले राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु अनुमत कर दिया जाए किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रगणक दिनांक 08.12.2019 को अपने–अपने मतदान बूथों पर निर्धारित समयावधि में उपस्थित रहें।

आज्ञा से,

(श्यामसिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान